मुख्य मार्ग से हिण्डन एयरबेस तक सम्पर्क मार्ग का सुदृढ़ीकरण/सिकन्दरपुर मार्ग से हिण्डन सिविल टर्मिनल तक जाने वाले प्रस्तावित मार्ग हेतु आवश्यक भूमि का क्रय एवं लखनऊ में शहीद पथ से एयरपोर्ट सम्पर्क मार्ग हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29 मई, 2018 को <u>सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-</u>

उपस्थिति (संलग्न है)

उपस्थित अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

<u>हिण्डन सिविल टर्मिनल</u>

1- निर्णय लिया गया कि सिकंदरपुर मार्ग से हिण्डन सिविल टर्मिनल तक जाने वाले प्रस्तावित मार्ग हेतु सर्वप्रथम नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा इस आशय का एक प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा कि हिण्डन एयरबेस पर निर्मित हो रहे सिविल टर्मिनल को आवागमन हेतु मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए लगभग 650 मीटर नई सड़क निर्माण की आवश्यकता है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि को भूस्वामियों से लीज पर लेकर सड़क निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के विभागीय बजट से किया जाएगा ।

2- यह भी बताया गया कि सड़क निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का लीज रेंट जिला प्रशासन द्वारा भूस्वामियों की सहमति से तय कर दिया गया है। लीज पर ली गई भूमि पर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग यथा आवश्यकता मा0 मंत्रिपरिषद के आदेश प्राप्त कर लेंगे।

<u>लखनऊ एयरपोर्ट</u>

3- बैठक में लखनऊ एयरपोर्ट को शहीद पथ से जोड़े जाने के सम्बन्ध में विकल्पों पर विचार किया गया। यह निर्धारित किया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए alignment को इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुंचने हेतु न्यूनतम दूरी तय करनी पड़े। जो वर्तमान प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें एलिवेटेड रोड बनाए जाने का प्रावधान किया है, निर्देश दिए गए एलिवेटेड रोड बनाए जाने के औचित्य का पुनः परीक्षण कर लिया जाए। यदि आवश्यकता हो तो gradient /slope को मानकों के अनुरूप रखते हुए न्यूनतम एलिवेटेड रोड ही प्रस्तावित किया जाए, शेष दूरी हेतु सामान्य रोड विकसित किया जाए।

इसके साथ ही अन्य विकल्पों पर भी विचार कर लिया जाए जिसमें कानपुर रोड की ओर से एयरपोर्ट के प्रवेश मार्ग का चौड़ीकरण भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। स्थलीय निरीक्षण करके सभी विकल्पों पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके एकमत स्थिर कर लिया जाए जिस पर आगे की बैठक में उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन विभाग
संख्या : 56 / 2018 / 1154/छप्पन-2018-71/17
लखनऊ : दिनांक : 04 जून, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
4- जिलाधिकारी, गाजियाबाद / लखनऊ ।
5- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
6- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
8- निजी सचिव, विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 शासन को विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।